सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य परियोजना कार्यालय,
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद् विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ–226007

विज्ञप्ति

उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान, राज्य परियोजना कार्यालय **(मुख्यालय)** में अस्थायी रूप से सृजित निम्नलिखित रिक्त पदो पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर योग्य, इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

क्रम सं0	पदनाम	वेतनमान	ग्रेड–पे (रू0में)	पद का प्रकार	रिक्त पदों की सख्या
1	वरिष्ठ विशेषज्ञ	15600-39100	7600	प्रतिनियुक्ति	8
2	विशेषज्ञ	15600-39100	5400	प्रतिनियुक्ति	4
3	प्रशासनिक अधिकारी	15600-39100	5400	प्रतिनियुक्ति	2
4	विधि अधिकारी	15600-39100	5400	प्रतिनियुक्ति	1
5	सहायक विधि अधिकारी	9300-34800	4600	प्रतिनियुक्ति	1
6	सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी	9300-34800	4600	प्रतिनियुक्ति	1
7	सहायक लेखाधिकारी/सम्प्रेक्षा अधिकारी	9300-34800	4600	प्रतिनियुक्ति	4
8	वरिष्ठ लेखाकार	9300-34800	4200	प्रतिनियुक्ति	2
9	वरिष्ठ ऑडिटर	9300-34800	4200	प्रतिनियुक्ति	1
10	ऑडिटर	9300-34800	4200	प्रतिनियुक्ति	3
11	जूनियर ऑडिटर	5200-20200	2400	प्रतिनियुक्ति	2
12	कैशियर	5200-20200	1900	प्रतिनियुक्ति	1

- पदों की संख्या आवश्यकतानुसार घट–बढ़ सकती है।
- **विज्ञापित पदों हेतु अभ्यर्थी को राज्य सरकार अथवा भारत सरकार के कर्मचारी/अधिकारी एवं राज्य सरकार अथवा भारत सरकार के अधीन उपक्रमों के अधिकारी/कर्मचारी निर्धारित वेतनमान एवं ग्रेड वेतन में कार्यरत अथवा इससे ठीक एक ग्रेड पे नीचे में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी आवेदन करने हेतु अर्ह हैं। प्रतिनियुक्ति पर चयन होने की स्थिति में मूल विभाग में प्राप्त वेतनमान एवं ग्रेड पे ही देय होगा।**
- उपरोक्त समस्त 1–12 पदों पर प्रतिनियुक्ति हेतु सम्बन्धित विभाग में स्थायी पद पर कम से कम पांच वर्ष की निरन्तर एवं सन्तोषजनक सेवा अनिवार्य है, जिसका प्रमाण अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत करना होगा।
- क्रम संख्या 01 व 02 के पदों पर चयन में शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश में कार्यरत अधिकारियों को वरीयता दी जायेगी।
- क्रम संख्या–4 व 5 के पदों हेतु अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक होना अनिवार्य है।
- क्रम सं 6–12 के पदों पर चयन हेतु टेली पैकेज की जानकारी रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी।
- **संविदा पर कार्यरत कर्मी/निजी संस्थाओं में कार्यरत कर्मी आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे।**
- प्रतिनियुक्ति पर तैनात किये गये अधिकारियों/कर्मचारियों को उ0प्र0 शासन द्वारा अपने राज्य अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए स्वीकृत दरों पर महंगाई भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता अनुमन्य होंगे। उक्त के अतिरिक्त सर्व शिक्षा अभियान में लागू परियोजना पैकेज का लाभ अनुमन्य होगा।
- प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारी/कर्मचारी की सेवा अवधि सामान्यतः 03 वर्ष की होगी तथा विशेष परिस्थितियों में 05 वर्ष होगी, परन्तु किसी भी दशा में प्रतिनियुक्ति अवधि 05 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- साक्षात्कार के समय नियुक्ति प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- सर्व शिक्षा अभियान में कार्यरत् रहने की अवधि में राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित प्रतिनियुक्ति के पद की सेवा शर्तें लागू होंगी। प्रतिनियुक्ति अवधि में अधिकारी/कर्मचारी को शासन की अनुमन्यता/उ0प्र0 सरकार के संचालित शासनादेश के अनुसार अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा निर्धारित सेवा शर्तों के अनुसार वहन किया जायेगा।

- जिस अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही/विभागीय कार्यवाही गतिमान है, सेवा संबंधी कोई प्रकरण मा0 न्यायालय में लंबित/विचाराधीन है, आवेदन हेतु अर्ह नहीं होंगे। सर्व शिक्षा अभियान में प्रतिनियुक्ति की अवधि में उक्त स्थिति ज्ञात होने पर सम्बन्धित की प्रतिनियुक्ति की सेवा स्वतः समाप्त कर दी जायेगी।
- किसी विभाग का संविलियन होने/रूग्ण अथवा बन्द इकाई मृत घोषित (Sick) होने पर प्रतिनियुक्त अधिकारी/कर्मी की प्रतिनियुक्ति उसी दिन से स्वतः समाप्त हो जायेगी और उसके बाद उनका कोई दावा (Claim) स्वीकार्य नहीं होगा।
- जिन आवेदकों की अधिवर्षता आयु 05 वर्ष शेष रह गयी है ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु अर्ह नही होंगे।
- पद हेतु निर्धारित ग्रेड–पे से अधिक ग्रेड–पे में कार्यरत अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे।
- सम्बन्धित कार्मिक के मूल विभाग में यदि 7th Pay Commission की सिफारिशें लागू नहीं होंगी तो परियोजना कार्यालय द्वारा 7th Pay Commission की संस्तुतियों के अनुसार नये वेतनमान का लाभ नहीं दिया जायेगा।
- परियोजना के कार्य की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि इच्छुक अभ्यर्थी हिन्दी एवं अंग्रेजी बोलने एवं लिखने की उत्कृष्ट दक्षता रखते हों तथा उन्हें कम्प्यूटर का भी सम्यक् ज्ञान हो साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने की अभिरूचि एवं योग्यता भी रखते हों।
- लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से अवेदित पद का नाम अवश्य लिखा जाए।

राज्य परियोजना कार्यालय, उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद् (सर्व शिक्षा अभियान) विद्याभवन, निशातगंज, लखनऊ 226007 में आवेदन प्राप्त होने की **अंतिम तिथि 12 जुलाई, 2017 की सायं 6.00 बजे तक है। स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट** से प्राप्त आवेदन पत्र ही स्वीकार्य होंगे। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन–पत्र स्वीकार्य नही होंगे। यह विज्ञप्ति सर्व शिक्षा अभियान की **Website: www.upefa.com** पर उपलब्ध है।

अर्ह अभ्यर्थियों के साक्षात्कार हेतु सूचना–स्थान, तिथि एवं समय के बारे में अभ्यर्थियों को पृथक से अवगत कराया जायेगा।

राज्य परियोजना निदेशक

आवेदन पत्र का प्रारूप

स्वप्रमाणित फोटो

1. आवेदित पद का नाम...
2. आवेदक का नाम..
3. पिता/पति का नाम...................................
4. जन्मतिथि..................
5. आयु (30.05.2017 को)............. वर्ष........... माह............ दिन.............
6. श्रेणी (अनु0जाति/अनु0जनजाति/अ0पि0वर्ग/सामान्य)..
7. पत्र व्यवहार का पता पिन कोड सहित ....
8. गृह जनपद ....
9. शैक्षिक योग्यता................
10. अन्य प्रोफेशनल योग्यता/विशेषता आदि (यदि कोई हो तो)..
11. मूल विभाग का नाम, पद तथा वेतनबैंड...
12. वेतन बैण्ड एवं ग्रेड पे तथा कुल परिलब्धि..
13. अनुभव–

क0सं0	अवधि (कब से कब तक)	विभाग/संस्था नाम (जहां कार्यरत है)	वेतनमान	अन्य

14. क्रम संख्या–6–12 के पदों पर चयन हेतु टैली पैकेज पर कार्य करने का अनुभव.............................

संलग्नकों की संख्या (आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर)
स्थान : (पता, पिनकोड एवं मो0 नम्बर सहित)
दिनांक :

(अग्रसारण अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर)
(मुहर सहित)

दूरभाष :2780995] 2781316 फैक्सः0522–2781123, 2780998 ,2781316 ईमेलःspdup@rediffmail.com;upefaspo@gmail.com;